

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/स्थायीकरण विविध-20/28565/2024/198

दिनांक:- 6/6/2024

—:आदेश:—

निम्नांकित कार्मिक नर्स द्वितीय जो वर्तमान में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर विभाग में कार्यरत है, को उनकी कार्यग्रहण तिथि से छः माह का परीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के नियम-31 के तहत एतद् द्वारा स्थायी किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	कार्यग्रहण तिथि	परीक्षा काल पूर्ण करने की दिनांक	छः माह पश्चात् परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1.	शिवदयाल सैनी	01.08.1964	दौसा	01.08.1990	28.02.1991	01.03.1991

उक्त कार्मिक का उक्तानुसार सेवा पुस्तिका में तत्संबंधी इन्द्राज संबंधित कार्यालयध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 6/6/2024

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/स्थायीकरण विविध-20/28565/2024/198

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
- प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावर जिला दौसा।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

DFA

RajKaj Ref
7672260



Signature valid

Digitally signed by Rajesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.06.06 12:35:04 IST
Reason: Approved